दूरभाष : 0121–2577676

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पॉकेट–TC-3/2 पल्लवपुरम फेज–2, मोदीपुरम, मेरठ–250110

संदर्भ संख्या 1074/MR-91/2014 दिनांक 27/10/14

सेवा में,

वैद्यता अवधि :– जारी करने की तिथि से दो वर्ष मात्र।

मैं मै0 मिल्लत होम्स द्वारा अब्बासी राव डेवलपर्स प्रा0लि0,

द्वारा श्री जावेद राव, निवासी 94/10, शास्त्रीनगर,

जनपद मेरठ ।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु/~~कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार~~/~~संयंत्रों के नवीनीकरण~~ हेतु अनापति प्रमाणपत्र का निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने आवेदन पत्र दिनांक .... का संदर्भ लें। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृति की जाती है।

1. **अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है–**

(क) स्थल : ~~खसरा संख्या–386, 387/1 व 387/2 ग्राम बाजोट,~~ जनपद, मेरठ

(ख) उत्पादन : ~~कुल एरिया–18190.00वर्गमीटर में से कवर्ड एरिया 11629.29वर्गमीटर~~ पर कुल 214रेजीडेंसियल फ्लैट का निर्माण

(ग) मुख्य कच्चे माल : ईंट, सीमेंट एवं सरिया आदि ।

(घ) प्रयुक्त ईंधन : 100 के0वी0ए0 के डी0जी0सेट में डीजल आवश्यकतानुसार ।

(ङ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा शून्य

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. **उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।**

3. **उद्योग इकाई में परीक्षण, उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन को इकाई से**

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियाजिन किया जाये।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा 20.0 किलोली. से अधिक नहीं होगी, ~~सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट~~ सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।

6. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक 30-11-2014 तक अवश्य प्रस्तुत की जाये।

7. प्रस्तावित इकाई द्वारा जनित घरेलू मलजल के शुद्वीकरण हेतु प्रस्तुत परियेाजनानुसार प्रस्तावित सीवेज शुद्वीकरण संयंत्र का निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा ।

8. प्रस्तावित इकाई परिसर में वर्षा जल के संचयन हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्वति की स्थापना की जाये ।

9. परिसर में प्रस्तावित 100 के0वी0ए0 के डी0जी0सेट पर ध्वनि नियंत्रण हेतु एकास्टिक एनक्लोजर एवं छत तल से 2.0 मी0 ऊँचा एग्जास्ट स्थापित किया जाये ।

10. प्रस्तावित इकाई परिसर के चारो ओर सघन व छायादार वृक्षों को रोपित किया जाये ।

11. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के एकत्रण/निस्तारिण हेतु अधिनियमान्तर्गत वर्णितानुसार डिस्पोजल हेतु उचित प्रबंध किया जायें ।

12. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 एवं समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम का पालन किया जाये ।

13. एरिया डेवलपमेंट/कंस्ट्रक्शन/कच्चे माल के भण्डारण एवं हथालन करते समय वाटर स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाये ।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति प्रमाणपत्र की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्धमें उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30-11-2014 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति प्रमाणपत्र निरस्त कर दी जायेगी।

29/08

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0 सं0 तददिनांक

प्रतिलिपि :

(1) मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (सर्किल–3), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र।

पत्रांक:भ-/ /डी0डी0/फा0स0/मेरठ-14(मेरठ) 662 दिनांक:जुलाई 28 ,2014

सेवा मे,

मुख्य नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

विषय: **मैसर्स अब्बासी राव डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा खसरा न0-386,387/1, व 387/2 ग्राम बजौट जनपद मेरठ मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

यूआईडी 2014/1474/एमआरटी/मेरठ/32/डीडी/07

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 281/14/मानचित्र-अनु0 (जोन-ए)/14 दिनांकः 17-04-2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन आपत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन फायर सटेशन परतापुर द्वारा कर अपनी आख्या दिनांकः 07-07-2014 मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ को उपलब्ध करायी गयी तथा उनके द्वारा आख्या का परीक्षण कर आपत्तियों से सम्बन्धित को अपने पत्र सख्याः 2014/1474/एमआटी/मेरठ/32/डीडी दिनांकः 11-07-2014 के माध्यम से अवगत कराया गया जिसके अनुपालनमे आवेदक द्वारा पुनः आपत्तियों का निराकरण कराकर अनापत्ति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया जिसके सम्बन्ध मे संशोधित मानचित्रों का परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचनाः-

1-प्लाट एरिया-18,190.00 वर्ग मी0 है।

क्रमांक	नाम ब्लाक	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	टिपिकल कवर्ड एरियावर्ग मी0।	स्टेयर की संख्या एवं चौडाई	ऊॅचाई मीटर में
1	टाईप-2	भूतल+7 तल	274.43	225.12	02-1.5 मी प्रत्येक	23.81
2	टाईप-3	भूतल+12 तल	1071.00	903.90	06-1.5/1.25 मी प्रत्येक	37.95
3	टाईप-4	भूतल+6 तल	428.05	375.815	02-1.5 मी0 प्रत्येक	21.00
4	रो हाउसिंग	भूतल एवं प्रथम-16	87.651	87.651	01 अदद-1.25मी	06.8

बेसमेन्ट एरिया- 6311.23 वर्ग मी।

भवन का अधिभोग विवरणः- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय (एन0बी0सी-2005 श्रेणी ए0-4 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः-

1- पहुच मार्गः- भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 45 मी0 का रोड है प्रवेश एवं निकास द्वार जिनकी चौडाई 04.50 मीटर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2- सैटबेकः- प्रस्तावित ब्लाक-2 के सैटबेक चारो 08 मीटर एवं ब्लाक 3 के अग्रभाग मे 16 मी, तीनो और 12-12 मीटर एवं ब्लाक-4 मे अग्रभाग 12 मी एवं तीनो तरफ 07-07 मीटर प्रस्तावित जो भवन विनियमावली मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ-2011 मानको के अनुसार उपलब्ध है, ब्लाक-03 एवं 04 के मध्य एवं ब्लाक टाइप-02 के मध्य दोनो ओर भी 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड स्पेस रखना अनिवार्य है एवं समस्त ब्लाक के चारो ओर 06 मीटर दर्शाये गये है, जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा।

3- निकास मार्गः- प्रस्तावित भवन मे स्टेयरकेस तालिकानुसार प्रस्तावित है, तथा फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

4- रिफ्यूज एरियाः- प्रश्नगत आवासीय भवन मे बालकनी का प्राविधान किया गया है, जो रिफयूज एरिया हेतु अनुमन्य है।

(अजय शर्मा)
उप निदेशक फा0 स0
मेरठ

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1-होजरील:- प्रस्तावित भवन प्रत्येक ब्लाक मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

2-टेरिस टैंक: प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लाक की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है एवं 75000 ली0, का भूमिगत टैंक वॉच्छनीय है।

3-टेरिस पम्प: प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लाक मे टेरिस पर टेरिस पम्प क्षमता 900 एल0पीएम0 विद्युत चालित पम्प, एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है एवं 1620 LPM का विद्युत व डीजल चालित पम्प, 180 LPM का जौकी पम्प वॉच्छनीय है।

4-डाउनकामर:- प्रस्तावित भवन डाउनकामर का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5-आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:-प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

6-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-प्रश्नगत भवन मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0 सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

7-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

8-स्मोक चैक डोर:- प्रश्नगत भवन मे फायर स्टेयर मे फायर चैक डोर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

9-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स अब्बासी राव डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा खसरा न0-386,387/1, व 387/2 ग्राम बजौट जनपद मेरठ मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है, कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2011 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र अदद।

(अमन शर्मा)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र।
उप निदेशक मेरठ

प्रतिलिपिः 1-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2-अग्निशमन अधिकारी परतापुर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3-मैसर्स अब्बासी राव डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा खसरा न0-386,387/1, व 387/2 ग्राम बजौट जनपद मेरठ को अनुपालनार्थ।

कार्यालय नगर निगम, मेरठ।

पत्रांक : 222 /सम्पत्ति/न0 नि0 मे0/14 दिनांक : 30-04-2014

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक 281/14/मानचित्र–अनु0(जोन–ए)/14 दिनांक 17.04.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके अन्तर्गत अब्बासी राव डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री जावेद राव निवासी 94/10, शास्त्री नगर, मेरठ द्वारा ग्राम बजौट मेरठ के खसरा नं0 386, 387/1 व 387/2 क्षेत्रफल 18190.00 वर्ग मीटर पर आवासीय भूखण्डीय विकास की प्रस्तावना हेतु मानचित्र सं0 281/14 संलग्न करते हुए इस कार्यालय की अनापत्ति/आपत्ति की अपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तुत मानचित्र संख्या 281/14 का परीक्षण किया गया। विभागीय आख्यानुसार मानचित्र में वर्णित भूमि खसरा सं0 386, 387/1 व 387/2 क्षेत्रफल 18190.00 वर्ग मीटर स्थित ग्राम बजौट नगर निगम, मेरठ की सीमान्तर्गत नही है।

26/04/14

प्रभारी सम्पत्ति
नगर निगम, मेरठ।

प्रतिलिपि :–श्री मुकेश मोहन पुत्र श्री महिपाल सिंह एवं श्रीमति जागेश्वरी देवी निवासी 162/7, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभारी सम्पत्ति
नगर निगम, मेरठ।

कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ

(भूलेख अनुभाग)

पत्रांक 271 / सात–डी0एल0आर0सी0–2012–13 दिनांक 09–05–2014

विषय– मानचित्र संख्या 281 / 14 की आपत्ति / अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ।

मुख्य नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ ।

कृपया उर्पयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या 281 / मानचित्र अनु0 / (जोन–ए) / 14 दिनांक 17–4–2014 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा अब्बासी राव डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री जावेद राव, निवासी 94 / 10 शास्त्री नगर मेरठ द्वारा ग्राम बाजौट मेरठ के खसरा संख्या 386, 387 / 1 व 387 / 2 रकबा 18190.00 वर्ग मीटर पर भूखण्डो के सृजन एवं ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु मानचित्र संख्या 281 / 14 के मध्य ग्राम समाज, सीलिग भूमि अथवा अन्य कोई सरकारी भूमि सम्मलित है अथवा नही के सम्बन्ध में मानचित्र पर आपत्ति / अनापत्ति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई हैं ।

इस सम्बन्ध मे उपजिलाधिकारी मेरठ से आख्या प्राप्त की गई । उन्होने अपनी आख्या दिनांक 26–4–2014 द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम बाजोट तहसील व जिला मेरठ में स्थित खसरा संख्या 386 रकबा 0.0250 है0 पर प्रेमचन्द पुत्र भगवान सहाय, महेश चन्द्र पुत्र हुकम सिंह अंगूरी देवी पत्नी स्व0 हुकम सिंह निवासी रिठानी खसरा संख्या 387 / 1 रकबा 1.7240 है0 पर विनिल कुमार पुत्र सुरेन्द्रपाल निवासी ग्राम लिसाडी मेरठ व खसरा संख्या 387 / 2 रकबा 1.7240 है0 पर विजेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी बाजोट इरफान,गुलजार पुत्रगण युनुस नि0 84 जाकिर हुसैन कालोनी मेरठ हाजीनूर मोहम्मद पुत्र हाजी इस्माईल निवासी ढवाई नगर मेरठ मौहम्मद सोनू सैफी पुत्र मुस्तकीन निवासी जाकिर हुसैन कालोनी मेरठ व फैसल पुत्र शमशुदीन निवासी घोसीपुर का नाम बतोर संक्रमणीय भूमिधर राजस्व अभिलेखो में अंकित है । उक्त खसरा नम्बरो में 18190.00 वर्ग मीटर भूमि प्रस्तावित है । उक्त खसरा नम्बरो में ग्राम समाज, सीलिंग अथवा अन्य कोई सरकारी भूमि सम्मलित नही है । यह अनापत्ति केवल ग्राम समाज / सीलिंग भूमि अथवा अन्य कोई सरकारी भूमि के सम्मलित न होने से सम्बन्धित है, भूमि के स्वामित्व आदि अन्य बिन्दु से सम्बन्धित नही है ।

अतः उपजिलाधिकारी मेरठ की जॉच आख्या दिनांक 26–4–2014 की आख्या दिनांक 28–4–2014 की छाया प्रति सलंग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

सलंग्न उपरोक्तानुसार

08/5/14
(दीप चन्द्र)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मेरठ।

26/5/14
तहसील...

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 मेरठ।

पत्रांक 1785/12 दिनांक: 30/4/14

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

विषयः– तलपट मानचित्र/ग्रुप हाउसिंग सं0 281/14 पर आपत्ति/अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आपका पत्रांक 281/14/मानचित्र–अनु0(जोन–ए)/14 दिनांक 17.04.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा अब्बासी राव डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री जावेद राव, निवासी 94/10, शास्त्री नगर, मेरठ द्वारा ग्राम बाजौट, मेरठ के खसरा सं0 386, 387/1 व 387/2 क्षेत्रफल 18190.00 वर्ग मीटर पर भूखंडो के सर्जन एवं ग्रुप हाउसिंग निर्माण की प्रस्तावना करते हुये तलपट मानचित्र सं0 281/14 पर अनापत्ति की संस्तुति हेतु लिखा गया है। उपरोक्त विषयक तलपट मानचित्र सं0 281/14 पर निम्न शर्तो के अधीन अनापत्ति की संस्तुति प्रदान की जाती है।

1– भवन निर्माण हेतु मार्ग के मध्य से 22.50 मीटर (74फिट) की दूरी पर अनापत्ति की संस्तुति की जाती है।

2– निर्माण से पूर्व एप्रोच मार्ग पर पुलियॉ के निर्माण हेतु पुलियॉ की ड्राईग तथा लीज एग्रीमेन्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता से किया जाये।

3– निर्माण का कुर्सीतल मार्ग की पटरी से नीचा रखा जाये।

4– जल निकासी की समस्त व्यवस्था प्रार्थी द्वारा स्वयं की जायेगी, किसी भी दशा में पानी मुख्य मार्ग पर न आने पाये।

5– निर्माण के दौरान निर्माण सम्बन्धी कोई भी सामग्री मुख्य मार्ग पर न आने पाये।

संलग्न :– मानचित्र एक प्रति में।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मेरठ

पत्रांक / दिनांक: ....

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता–द्वितीय, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अवर अभियन्ता(प्रा0), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मेरठ